

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 98/2018

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केवलराम पुत्र श्री जोगाराम
2. हापूराम पुत्र श्री जोगाराम
3. पेमाराम पुत्र श्री जोगाराम
4. सायरी पत्नी श्री जोगाराम
जातियान सरगरा निवासीगण
ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. ओगड़राम पुत्र श्री जोगाराम
जाति सरगरा निवासी बरना
तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा
3. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.
सी.आई बैंक शाखा बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल, एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 14.09.2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 43/1 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 85 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1472 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा आयी हुयी है। जिसमें प्रत्येक वादी का सम्पूर्ण भूमि में 1/5-1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 वॉ हिस्सा है। इस प्रकार उक्त खसरा की भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। पूर्व में उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री जोगाराम की खातेदारी में दर्ज थी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री जोगाराम का देहान्त हो गया जिनके देहान्त के पश्चात् उक्त खसरा की भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी थी। प्रत्येक वादीगण का अपने अपने 1/5-1/5 हिस्से पर कब्जा व काश्त निर्वाध रूप से चला आ रहा है। पारिवारिक वात को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से व्यर्थ नाराज रहता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करने से रोकने के लिए बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने तथा वादीगण के 1/5-1/5 हिस्से की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा तथा वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि से


३१

राजस्थान सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे तथा प्रतिवादी अपने मन माफिक जमीन पर काबिज हो जायेगा। विवादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की होने से वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5-1/5 हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाड़ा कर अलग करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवाड़ा करने से दिनांक 11.10.2018 को स्पष्ट इंकार कर दिया इस कारण वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के लिए बंटवाड़ा कराने के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है।


अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित वादीगण एवं प्रतिवादी की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 43/1 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 85 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1472 रकबा 8, बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 5 कुल रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा में से प्रत्येक वादीगण का 1/5-1/5 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निपेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 17.03.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 43/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 658 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1353 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1472 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु का प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया जिसके तहत ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1472 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि ओगडराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1353 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी केवलराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1353 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी हापूराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1472 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी पेमाराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 85 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा सायरी पत्नी जोगाराम 95/117 वा हिस्सा, ओगडराम पुत्र जोगाराम 11/117 वॉ हिस्सा, पेमाराम पुत्र जोगाराम 11/117 वॉ हिस्सा


साहायक कलेक्टर
एच डी खण्ड अधिकारी


जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 05 बिस्वा ओगड़राम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, केवलराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, हापूराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, पेमाराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 43/1 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा ओगड़राम 1/5 हिस्सा, केवलराम 1/5 हिस्सा, हापूराम 1/5 हिस्सा, पेमाराम 1/5 हिस्सा पिसरान जोगाराम, सायरी पत्नी जोगाराम 1/5 हिस्सा जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जासी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।




(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

वादीगण

1. केवलराम पुत्र श्री जोगाराम
2. हापूराम पुत्र श्री जोगाराम
3. पेमाराम पुत्र श्री जोगाराम
4. सायरी पत्नी श्री जोगाराम
जातियान सरगरा निवासीगण
ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओगड़राम पुत्र श्री जोगाराम
जाति सरगरा निवासी बरना
तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा
3. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.
सी.आई बैंक शाखा बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 98/2018

निर्णय

दिनांक :- 14.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मुषदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1472 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि ओगड़राम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1353 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी केवलराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1353 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी हापूराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1472 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी पेमाराम पुत्र जोगाराम जाति सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 85 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा सायरी पत्नी जोगाराम 95/117 वा हिस्सा, ओगड़राम पुत्र जोगाराम 11/117 वॉ हिस्सा, पेमाराम पुत्र जोगाराम 11/117 वॉ हिस्सा जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 658 रकबा 05 बिस्वा ओगड़राम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, केवलराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, हापूराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा, पेमाराम पुत्र जोगाराम 1/4 हिस्सा जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। खसरा नम्बर 43/1 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा ओगड़राम 1/5 हिस्सा, केवलराम 1/5 हिस्सा, हापूराम 1/5 हिस्सा, पेमाराम 1/5 हिस्सा पिसरान जोगाराम, सायरी पत्नी जोगाराम 1/5 हिस्सा जातियान सरगरा सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.09.2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलवाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(Handwritten signature)

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
- विबिलाडा